सिफ़ारिशें

ऑडिट निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैः

i. एमओईएफएंडसीसी डाटाबेस के पुनर्वैधीकरण के लिए एनआईसी के परामर्श से उचित कार्रवाई करे और उन परियोजनाओं की सही तस्वीर पर पहुँचे जिनको मंत्रालय द्वारा ईसी दिए गए हैं।

ii. ईसी देने में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एमओईएफएंडसीसी को ईआईए के अधिसूचना के अनुसार समय सीमा का पालन करने के साथ प्रकियाओं को सरल और कारगर बनाए।

iii. एमओईएफएंडसीसी को ईआईए रिपोर्टों की संवीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे टीओआर के अनुसार हैं, सामान्य ढांचे का पालन करती हैं, बेसलाइन डाटा सही है और लोक सुनवाई के दौरान उठाई गई चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है।

iv. एमओईएफएंडसीसी कार्यालय ज्ञापनों का सहारा लेने के बजाय, सभी भागीदारों को शामिल करके, कानूनी प्रक्रियायें अपनाकर ईआईए की संपूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन करे और ईआईए अधिसूचना में उचित संशोधन करे।

v. एमओईएफएंडसीसी केवल पिछले ईसी की शर्तों का अनुपालन सत्यापित करने के बाद ही पीपी को नए सिरे से ईसी प्रदान करें।

vi. एमओईएफएंडसीसी अपने कोयला लिंक्ड खान ताप तथा धातुकर्म परियोजनाओं के ईसी के लिए जारी परिपत्र 2010 का पालन करे ताकि निश्चित कोयला लिंकेज (संधि) उपलब्ध हो और कोयला स्रोतों यानि जुड़ी कोयला खान/कोयला ब्लॉक की पर्यावरण तथा वानिकी मंजूरी ज्ञात हो।

vii. एमओईएफएंडसीसी समान प्रकार की परियोजनाओं में असमानता से बचने के उद्देश्य से ईसी की शर्ते परियोजना की प्रकृति तथा प्रकार के अनुरुप बनाने पर विचार करे।

viii. ईआईए रिपोर्टों/ईसी पत्रों में उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा के साथ ईएमपी तथा ईएसआर के अंतर्गत कार्यकलापों की लागत का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

ix. एमओईएफएण्डसीसी पश्च ईसी देने के बाद तीसरी पार्टी से मूल्यांकन के साथ वन/कृषि विभाग के परामर्श से हरित पट्टी के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र और लगाई जाने वाली प्रजातियों पर ईएमपी/ईसी शर्त (तें) अधिक विशिष्ट करने पर विचार करें।

x. एमओईएफएण्डसीसी भूजल निकालने की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड/राज्य एजेंसियों को प्रत्येक परियोजना पर जारी ईसी पत्र की एक प्रति भेजने पर विचार करें।

xi. एमओईएफएण्डसीसी ईसी में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन की सख्ती से समय-समय पर निगरानी के लिए आरओ, सीपीसीबी, एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी तथा राज्य सरकारों के अन्य विभागों के समन्वय से से रणनीतियाँ बनाएँ।

xii. एमओईएफएण्डसीसी तथा एसपीसीबी परियोजना के ईसी में लगाई शर्तों की निगरानी करने के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाने और अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्टों तथा पर्यावरण विवरणों की कुछ प्रतिशत जांच के लिए अनुसूची विकसित करने पर विचार करें।

xiii. एमओईएफएण्डसीसी पर्यावरणीय प्राचलों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए प्रस्तावक द्वारा लगाए जाने वाले पद/पदों के नाम तथा संख्या उल्लिखित करने हेतु उचित शर्त लाने पर विचार करें।

xiv. एमओईएफएण्डसीसी निगरानी केन्द्रों के प्रतिष्ठापन और वायु, सतही जल, भूजल, ध्वनि आदि के संबंध में विभिन्न पर्यावरण प्राचलों की निगरानी की बारंबारता पर अनिवार्य ईसी शर्ते लाने पर विचार करें।

xv. एमओईएफएण्डसीसी एसपीसीबी के परामर्श से पर्यावरणीय प्राचलों की तीसरी पार्टी से परीक्षण को सत्यापित करने के लिए पीपी के परिसर में एसपीसीबी द्वारा आकस्मिक जांच की प्रणाली आरंभ करने पर विचार करे।

xvi. एमओईएफएण्डसीसी नियमित अंतरालों पर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र की कार्ययोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को परामर्शी जारी करें।

xvii. एमओईएफएण्डसीसी यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करें कि अनुपालना रिपोर्टें नियमित रूप से तथा समय से प्राप्त हो और पीपी तथा मंत्रालय द्वारा अपनी वैबसाइटों पर अपलोड की जाएं।

xviii. एमओईएफएण्डसीसी संबन्धित आरओ में वैज्ञानिकों की अपेक्षित संख्या रखने के लिए शीघ्र उपाय करें।

xix. दोषी पीपी के विरुद्ध कार्र्वाई करने के लिए एमओईएफएण्डसीसी को आरओ को अधिकार सौंपकर एक प्रणाली बनानी चाहिए।

xx. एमओईएफएण्डसीसी में एक प्रणाली होनी चाहिए जहाँ आरओ से प्राप्त उल्लंघन की रिपोर्टों को आरओ के समन्वयन में संकलित किया जाएं और लगातार निगरानी हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीपी ईसी की शर्तों का पालन करें और कानून के मुताबिक कर्रवाई करें।

xxi. एमओईएफएण्डसीसी ईसी पत्र तथा ईआईए रिपोर्टों में की गई वचनबद्धताओं के अनुपालन की निगरानी का उत्तरदायित्व स्पष्टतया सौंपने के तौर तरीके बनाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी करें।

xxii. एमओईएफएण्डसीसी परियोजना प्रस्तावों को सीटीई तथा सीटीओ देने के बाद आवधिक निगरानी के लिए एसपीसीबी/यूटीपीसीसी को परामर्शी जारी करें।

xxiii. एमओईएफएण्डसीसी एसपीसीबी की अवसंरचना तथा जनशक्ति मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दे ताकि क्षेत्राधिकारों में चल रही परियोजनाओं की ईसी शर्तों की उचित निगरानी कर सकें।